फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज | अदालत | जिला कलक्टर | मुकाम | धौलपुर

जम्बो फिनवेस्ट लि0 शाखा धौलपुर बनाम गुड्डीदेवी बगैरा।

किस्म मुकदमा:–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर ...~~12~~ 14 सन् 2019 19/2019

RCMS No. 2019/00039

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री जितेन्द्रसिंह प्राधिकृत अधिकारी, जम्बो फिनवेस्ट लि0 शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री सुन्दरसिंह पता शिवाजी नगर ओडेला रोड़ धौलपुर राज0, दूसरा पता ग्राम राजोरा पोस्ट सरानीखेड़ा बाड़ी रोड़ धौलपुर, 2. श्री सुन्दरसिंह जाट पुत्र श्री कन्हैया लाल जाट पता शिवाजी नगर ओडेला रोड़ धौलपुर राज0, दूसरा पता ग्राम राजोरा पोस्ट सरानीखेड़ा बाड़ी रोड़ धौलपुर, 3. श्री सहदेव सिंह पुत्र श्री मुन्शीसिंह पता ग्राम पिड़ावली बिलौनी बाड़ी धौलपुर राज0 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को खाता संख्या 43293 हेतु दिनांक 21.09.2015 को 35,00,000/–रूपये मात्र (पैंतीस लाख रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 50977 हेतु दिनांक 12.05.2016 को 15,00,000/–रूपये मात्र (पन्द्रह लाख रूपये मात्र) कुल 50,00,000/– रूपये (पचास लाख रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– 1. श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री सुन्दरसिंह की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं0 31 शिवाजीनगर, ओडेला रोड ग्राम महमदपुर धौलपुर राज0 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप 583.33 वर्ग गज है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है:– पूर्व में 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में प्लॉट संख्या 30, उत्तर में प्लॉट संख्या 32, दक्षिण में 40 फीट चौड़ी सड़क है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के दोनों खातों को बैंक द्वारा दिनांक 15.12.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 25.02.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में दोनों खातों की कुल ऋण राशि 46,69,249/– रूपये मात्र दिनांक 18.02.2019	386-88 12.6.19

(हस्ताक्षर)
नेहा गि...
जिला कलक्टर ...

तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति . श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री सुन्दरसिंह की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं0 31 शिवाजीनगर, ओडेला रोड ग्राम महमदपुर धौलपुर राज0 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप 583.33 वर्ग गज है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है:— पूर्व में 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में प्लॉट संख्या 30, उत्तर में प्लॉट संख्या 32, दक्षिण में 40 फीट चौड़ी सड़क है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
नेहा गिरि
जिला कलेक्टर धौलपुर